



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2004/ज्यैष्ठ 10, 1926

No. 495]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2004/JY. AISTHA 10, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं संस्कारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई 2004

का.जा. 644(अ).—नाशक कीट एवं नाशकजाल आधानयम, 1914 (1914 का 2) का धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पादपसंगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, यथा—

1. (1) इस आदेश को पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) तृतीय संशोधन आदेश, 2004 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, यह आदेश 1 नवम्बर, 2004 से लागू होगा।

2. पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में,—

(क) खण्ड 2 में,—

(i) उपखण्ड (xv) हटाया जाएगा;

(ii) उपखण्ड (xxx) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा—

"(xxxi) "ड्यूनेज" ड्यूनेज से तात्पर्यकाठ की पैकेजिंग सामग्री से है जो वस्तुओं को सुरक्षा या सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है जो इस वस्तु से असम्बद्ध रहती है। (एफ.ए.ओ., 1990 संशोधित आई.एस.पी.एम. प्रकाशन सं. 15, 2002);

(xxxii) "काठ की पैकेजिंग सामग्री" से तात्पर्य काठ या काठ उत्पाद (कागज उद्योग को छोड़कर) से है जिसका प्रयोग वस्तुओं को सहारा संरक्षण देने तथा उसको लाने से जाने के लिए किया जाता है। (इसमें ड्यूनेज भी शामिल है)। (आई.एस.पी.एम. प्रकाशन सं. 15, 2002);

(xxxiii) "वस्तु" से तात्पर्य किसी भी प्रकार की वस्तु सम्पत्ति से है जिसमें ऐसे हर प्रकार के सामान या भण्डार आते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को जहाज से भेजा जाता है और उसके साथ सीमा शुल्क जहाज या वायुयान का बिल और/वा बीजक संलग्न हो।"

(ख) खण्ड 3 में,—

(i) उपखण्ड (20) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा—

"20.(क). कोई भी वस्तु, जो कच्चे/ठोस काठ की पैकेजिंग सामग्री से पैक की गई हो, सीमाशुल्क के सक्षम अधिकारी द्वारा तब

तक निर्मुक्त नहीं की जाएगी जब तक कि काठ की ऐसी पैकेजिंग सामग्री का समुचित रूप से उपचार न किया गया हो और इस पर आई.एस.पी.एम.-15 न छपा हो अथवा इसके साथ उपचार के तहत पृष्ठांकित पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र संलग्न न हों।

निर्यात के पहले कच्चे/टोस काठ की पैकेजिंग सामग्री में आते हैं—मिथाइल ब्रोमाइड (एम.बी.) @ 48 ग्राम/मी³; 3.21 डिग्री सेन्टीग्रेड पर 16 घण्टे के लिए और इससे ऊपर या इसका कोई समतुल्य या 30 मिनट तक 56 डिग्री से. ग्रेड (काठ का कोर तापमान) पर ऊष्मीय उपचार या भट्ठी में सुखाना या केमिकल प्रेसर इम्प्रेशन (सी.पी.आई.) या कोई अन्य उपचार बशर्ते कि यह आई.एस.पी.एम.-15 की एच.टी. विनिर्दिष्टियों को पूरा करते हों।

कोई भी वस्तु यदि कच्चे/टोस काठ की सामग्री से पैक की गई हो और इसका कोई विशिष्ट उपचार न किया गया हो, और न ही इस पर आई.एस.पी.एम.-15 के अनुसार मार्क हो या उपचार से पृष्ठांकित पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र संलग्न न हो, या जैसी स्थिति हो, को अनु-उपचारित माना जाएगा और इसे सीमा शुल्क का सक्षम प्राधिकारी पादप संगरोध अधिकारी के पास भेज देगा। सीमा शुल्क का सक्षम प्राधिकारी अनु-उपचारित काठ की पैकेजिंग सामग्री से पैक किए गए सामान तभी जारी करेगा जब यह सुनिश्चित कर लेगा कि काठ की पैकेजिंग सामग्री का पादप संगरोध अधिकारी की निगरानी में प्रवेश बिन्दु पर उपचार किया गया है।

वशर्ते ये शर्तें काठ की इन पैकेजिंग सामग्रियों पर लागू नहीं होंगी जिसकी प्रसंस्कृत काष्ठ उत्पादों यथा प्लाईवुड, पार्टिकुल बोर्ड, ऑरिएण्टेड लस्ट्रैन्ड बोर्ड या वनीर जो कि सरेस, कच्चा तथा ताप या इन सभी से तैयार किया गया है, से पैकेजिंग की गई हो। उपर्युक्त शर्तें वेनीर पीलर कोर, साइड, वूड ब्लू तथा शेविंग और थिन वूड के टुकड़े (6 मि.मी. पतली) पर लागू नहीं होंगी, जब तक कि इनमें इस आदेश में विनिर्दिष्ट नाशक जीव न पाए जाएं।

यह भी प्रावधान किया गया कि इस उप बन्धन में निहित कोई भी बात काठ की उप पैकेजिंग सामग्री पर लागू नहीं होगी जो संयंत्र और संयंत्र उत्पादों से भिन्न किसी बोनाफाइड पैसेंजर के सामान की पैकेजिंग में लगे हों।

(ii) खण्ड में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपखण्ड (21) और (22) हटाए जाएंगे।

[फा. सं. 8-128/2004-पी.पी.-1]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

पाद लिप्यन्ती: प्रधान अधिसूचना दिनांक 18-11-2003 के का.आ.सं. 1322(अ) द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् इसे दिनांक 6-2-2004 के का.आ.सं. 16/(अ) और दिनांक 29-3-2004 के का.आ.सं. 427(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2004

S.O. 644 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 namely:—

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Third Amendment Order, 2004.
- (2) Save as otherwise provided in this Order, this Order shall come into force on the 1st November, 2004.

2. In the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,—

(a) in clause 2,—

(i) Sub-clause (xxv) shall be omitted;

(ii) after sub-clause (xxx), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(xxx) “Dunnage” means wood packaging material used to secure or support a commodity but which does not remain associated with the commodity [FAO, 1990; revised ISPM Pub. No. 15, 2002];

(xxxii) “Wood packaging material” means wood or wood products (excluding paper products) used in supporting, protecting or carrying a commodity (includes dunnage) [ISPM Pub. No. 15, 2002];

(xx-xiii) “Article” means any kind of movable property including any goods and stores consigned from one party to another as a shipment and covered by a bill of entry of customs, shipping or airway bill and/or invoice in the course of international trade.”

(b) In clause 3,—

(i) after sub-clause (20), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(20A). No article packed with raw/solid wood packaging material shall be released by the proper officer of Customs unless the wood packaging material has been appropriately treated and marked as per ISPM - 15 or is accompanied by a phytosanitary certificate with the treatment endorsed.

The treatment of raw/solid wood packaging material prior to export shall include either methyl bromide (MB) @ 48 g/m³ for 16 hrs at 21°C and above or any equivalent thereof or heat treatment (HT) of 56°C for 30 min (core temperature of wood) or Kiln Drying (KD) or Chemical Pressure Impregnation (CPI) or any other treatments provided that these meet the HT specifications of the ISPM-15.

Any article, if found packed with raw/solid wood packaging material without specified treatment and without marking as per ISPM-15 or if not accompanied by phytosanitary certificate with treatment endorsed, as the case may be, shall be considered untreated and shall be referred by the proper officer of the Customs to Plant Quarantine Officer. The proper officer of customs shall grant release of such articles packed with untreated wood packaging material only after ensuring that the wood packaging material has been appropriately treated at the point of entry under the supervision of Plant Quarantine Officer.

Provided that above conditions shall not be applicable to wood packaging material wholly made of processed wood products such as plywood, particle board, oriental strand board or veneer that have been created using glue, heat and pressure or combination thereof. Also the above conditions shall not be applicable to wood packaging material such as veneer peeler cores, saw dust, wood wool and shavings and thin wood pieces (less than 6 mm thickness), unless they are found to be harbouring any regulated pests specified in this order:

Provided further that nothing contained in this clause shall be applicable to wood packaging materials used for packaging of *bona-fide* passenger baggage containing goods other than plant and plant products’.

(ii) Sub-clauses (21) and (22) shall be omitted with effect from the date of publication of this Order.

[F. No. 8-128/2004-PPI]

ASHTISHBAH UGUJAJI, Secy

Foot Note:— The Principal notification was published *vide* So. No. 1322(E) dated 18th November, 2003 and subsequently amended *vide* No. S.O. 167(E) dated 6th February, 2004 and No. S.O. 427 (E) dated 29th March, 2004.